

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] No. 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 जनवरी, 2018

सं. 02/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 15(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30.06.2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30.06.2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 147 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "सभी वस्तुओं (नेप्था समेत) [क्रम सं. 148, 149, 150, 151, 153 में उल्लिखित सभी वस्तुओं, टैरिफ मद 2713 11 00 या 2713 12 00 के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम कोक से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/361/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30.06.2017 को सा.का.िन. 785(अ), दिनांक 30.06.2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 93/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 21.12.2017, जिसे सा.का.िन. 1533(अ), दिनांक 21.12.2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

126 GI/2018 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 05th January, 2018

No. 02/2018-Customs

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 147, in column (3), for the entry, the entry "All goods (including naphtha), [other than goods mentioned at S. No. 148, 149, 150, 151, 153, petroleum coke falling under tariff item 2713 11 00 or 2713 12 00]" shall be substituted.

[F. No. 354/361/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 93/2017-Customs, dated the 21st December, 2017, published *vide* number G.S.R. 1533 (E), dated the 21st December, 2017.